प्र.सं. ...../ दावा / प्र.पत्र / .....

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23/7/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 17/9/25 को पेश हो।	
17/9/25	वकीलवादी उप./पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र अंतिम हेतु दिनांक 12/11/25 को पेश हो।	
12/11/25	वकीलवादी उप०। बहस प्रा० पत्र सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 24/11/25 को पेश हो।	
24/11/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 27/11/25 को पेश हो	
~~24/11/25~~ 27/11/25	~~वकीलवादी उप०। बहस~~ वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई । प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पूर्वज अकबर खां मूल खातेदार नूर मोहम्मद आ0 छोटे खां से जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांक 29.02.1960 द्वारा भूमि ख0सं0 598 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा जिसके गत बंदोबस्ती ख0नं0 368/1 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि रतनलाल महाजन व रूघा गुर्जर के खेत के सामने क्रय की गई थी। उक्त क्रय शुद्धा भूमि पर अकबर खां काबिज काश्त है। ततपश्चात् उनके जायन्दा पुत्रों चॉद खां एवं अल्लानूर काबिज काश्त रहे। उनके देहान्त के पश्चात् प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि का नामान्तकरण क्रेता अकबर खां के नाम इन्द्राज नहीं होने से उक्त भूमि वर्तमान में भी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। जिसका नाजायज लाभ उठाते हुए प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर भी अप्रार्थी संख्या 10 के यहां रहन रख ऋण प्राप्त कर लिया है एवं राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को अन्य को बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 में उक्त भूमि में से 25/319 वॉ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 9 को बेचान कर दिया है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 राजस्व रेकार्ड में अपना नाम होने का फायदा उठाकर प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा क्रय शुद्धा व कब्जा काश्त की भूमि को भी रहन बेचान करने पर भी आमादा है। अतः	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अप्रार्थीगण को दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने से जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण बन्द किया गया। अप्रार्थी सं0 2 लगा0 8 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस एक पक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन करते हुए पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वर्णित आराजी भूमि ख0सं0 598 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा जिसके गत बंदोबस्ती ख0नं0 368/1 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों ने अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 के पूर्वज से क्रय किया जाना प्रतीत होता है किन्तु उक्त क्रय शुद्धा भूमि का तत्समय नामान्तकरण किन कारणों से दर्ज नहीं हुआ यह स्पष्ट नहीं है जिसका निर्धारण वाद में साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर निर्धारण होना है। जिसमें समय लगने की पूर्ण सम्भावना है, वाद वर्णित आराजी को लेकर अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए दिगर रहन बेचान अथवा भारग्रस्त किये जाने से पक्षकारों के मध्य लिटिगेशन बढने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि वाद वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा क्रय किया जाना वाद पत्र में अंकित किया है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी भूमि ख0सं0 598 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा जिसके गत बंदोबस्ती ख0नं0 368/1 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम जमीतपुरा के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें उक्त भूमि को रहन बैचान अथवा भारग्रस्त नहीं करें, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त हस्तक्षेप न तो स्वंय करे ना ही अपने प्रतिनिधी से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होवे नम्बर से कम हो बाद तामिल तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।